



3

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी R 2199-PBR/14

खूबचन्द डबोईया पुत्र स्व. श्री कल्याण सिंह
आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम घाटमपुर, चन्द
नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

..... आवेदक

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर्व साधारण
2. शंकर लाल पुत्र स्व. श्री कल्याण सिंह निवासी गैस गोदाम के पास, कोटेश्वर कॉलोनी, ग्वालियर
3. अमर सिंह पुत्र स्व. श्री कल्याण सिंह निवासी बुलबुल पुरा, घासमण्डी, ग्वालियर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

सिंह कु शिवाए, काँतो
22-7-14 को

क. 22-7-14
ऑफ कोर्ट
म.प्र. ग्वालियर
2.20 P.M

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश
न्यायालय माननीय तहसीलदार महोदय ग्वालियर (म.प्र.) प्रकरण
क्रमांक 67 / 2012-13 / अ 6 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2014
को पारित आदेश से दुखित होकर

3.6.2015

आवेदन की आर व श्री
कुंवर सिंह कुशवाह अभिभावक
इपाक्षित। ग्राह्यता या तर्क
दुन गये। उनका केवल यही
तर्क है कि तहसीलदा आके
समस्त आवेदन प्रकण का
विराकाण नही कर आवेदन
रखे हे है। अतः तहसीलदा
का निर्दिशित किया जाता है
कि वह तीन माह में प्रकण
का विराकाण करे। प्रकण
रही स्तर पा समाप्त किया
जाता है।

अ.र.दा

3.
अ.र.दा

~~अ.र.दा~~
36
(2)

अ.र.दा
36/11